न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एल.आर/1393/2005/गंगानगर

प्रीतमसिंह पुत्र चतरसिंह जाति कश्मीरी ब्राह्मण सिख निवासी चक 25 एन. पी0तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी म0नं0619/21 छतरपुर नई दिल्ली–04

अपीलाण्ट

बनाम

1– नसीबसिंह पुत्र बंतासिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर ।
2– राजस्थान सरकार

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक– 4–7–2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18–2–2005 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के पिता को केन्द्रसरकार के आदेशानुसार बतौर कश्मीरी विस्थापित रकबा पाने का हकदार मानकर चक 25 एन.पी. के मुरब्बा नंबर 24 में 12 बीघा 5 बिस्वा व चक 22 एन.पी.के मुरब्बा नंबर 46 में 6 बीघा 3 बिस्वा व 47 में 6 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 20–8–1952 को आवंटित की गई एवं दिनांक 24–6–1970 को पुख्ता आवंटित घोषित किया गया । सहायक जिलाधीश द्वारा दिनांक 22–10–77 को उक्त खसरा नंबर में से 11 बीघा 13 बिस्वा का पुनः रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया एवं शेष

15 बिस्वा को रकबा राज घोषित किया गया । अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के प्रयास किए गए किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने पर सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 22-10-77 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दिनांक 22-10-77 की प्रमाणित प्रति की छूट दिए जाने का निवेदन किया । दौराने अपील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपील के साथ आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है इसलिए अपील निरस्त की जावे । जिसका जबाव अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18-2-2005 द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील खारिज कर दी । प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-2-2005 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के नियम 17 के तहत अपील में संलग्न मूल आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की छूट प्रदान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील ही खारिज कर दी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना-पत्र पर अपील अस्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। सहायक कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना-पत्र बाबत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निवेदन किया गया जिस पर यह रिपोर्ट अंकित की कि उक्त पत्रावली कार्यालय रिकार्ड देखने पर उपलब्ध नहीं हो रही न ही मुझे चार्ट में मिली है इसलिए नकल हेतु पत्रावली उपलब्ध कराने में असमर्थता है । इस रिपोर्ट की सत्यप्रति अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपील में अग्रिम कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया जिसे उनहोंने खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त कर उन्हें निर्देश दिए जावे कि मूल आवंटन की पत्रावली तलब की जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

4- विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 1 सीपीसी खारिज कर अपील खारिज की है। जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6– हस्तगत प्रकरण रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट–1 नियम 17 एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट–2 नियम 30 से संबंधित है, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ आवंटन की प्रति संलग्न नहीं किए जाने पर रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अपील खारिज की है । इस संबंध में अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा आवंटन पत्रावली संख्या 333/77 निर्णय दिनांक 22–10–1977 नसीबसिंह पुत्र बंतासिंह जट सिख 22 एन.पी. की पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु निवेदन किया था परन्तु उक्त पत्रावली कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने से उसके द्वारा प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी आधार पर खारिज किया है कि उसके द्वारा अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है। इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है । इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है–

आर.आर.टी.2001(2) पृष्ठ 941–"Rajasthan Revenue Court Manual part-1 Rule 17(d) – The petitioner has not filed certified copy of trial Courts judgment with the revision which is essential as per Rule 17. He submitted an application with the revision that has applied for the certified copy of the judgment and same will be submitted when received-The Revision was admitted for hearing and stay order was passed-But till today he has not submitted certified copy of the trial Courts judgment-It was argued on behalf the opposite party that revision may be dismissed as he has not filed certified copy-It was held that as per judgment of Rajasthan High Court reported in 1981 RRD 351 that if the revision has been admitted any stay order has been passed it will be presumed that the Court has dispensed it as per provision of Rule 17 of Revenue Court Manual Part 1 and Hence on this revision cannot be dismissed."

आर.आर.डी.1981 पृष्ठ 351–"Revenue Courts Manual(Pt-1) , R. 17 Proviso, 36, 37 & 9-Certified copy of order of court of first instance, not filed with revision against order of RAA- Held that revision could not be dismissed by Board where revision, registered and admitted and stay granted

and as such copy presumed to be dispensed with implicitly under Proviso to R. 17 .”

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 317 ज्ञानचंद बनाम राजस्थान राज्य

Rajasthan Revenue Courts Manual (Part 1). Rule 17-Once revision has been admitted, it cannot be rejected merely on the technical ground that Compliance of Rule 17 has not been made-In fact in such circumstances, the necessity of presenting such copy is presumed to be dispensed with

आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 838 कन्हैयालाल बनाम मदनलाल व अन्य

Rajasthan Revenue Courts Manual (Part I), Rule 17 and (Part II), Rules 30 Second appeal filed against order of R.A.A.-Held, appeal filed without enclosing copy of the decree with the judgment-Arguments heard and appeal admitted and registered-Objection raised by respondents in view of provisions of R.C. Manual (Para I) Rule 16 and (Part II) Rule 30 being mandatory-Amendment has been made in Order 41 Rule 1, CPC since 1.7.2002 but unfortunately, provisions of Part I and Part II of the Manual not amended-C.P.C. is applicable on Revenue Courts and orders passed by the courts, thereafter provisions of Manual (Part I) Rule 17 and (Part II) Rule 30 has become directory and not mandatory-Under the circumstances, both the Rules of the Manual are analogous-Copy of decree filed on 24.1.02 by plaintiff/appellant-Application u/s 5, Limitation Act has already been filed for condonation of delay, therefore, last paragraph of the judgment shall be deemed copy of the decree-Taking legal approach' in view of the Hon'ble Supreme Court illustrations, delay is condoned and case is decided on merits-Defendant No.2 has requested in Para No. 15 of the written statement for declaring khatedari rights being in adverse possession of the disputed land since long-Looking to the continued cultivation, the facts mentioned in counter-claim, khasra girdawari slips and concurrent findings of the subordinate courts, khatedari rights are conferred of the disputed land Kh. No. 239/2 area 7 bighas 2 biswas, on the respondent No.2-Order and decree of R.A.A. dt. 9.7.01, confirmed

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 317 ज्ञानचंद बनाम राजस्थान राज्य

Rajasthan Revenue Courts Manual (Part 11). Rule 30-Concerned file not traceable-Appellate court should have decided appeal on merits rather than

rejecting it on the technical ground of non-submission of copy of impugned order.

7– उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–2–2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर उन्हें निर्देश दिए जाते है कि वे प्रकरण में दस्तावेजों का परीक्षण कर साक्ष्य सबूत के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभय पक्षकारान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–7–2023 को उपस्थित हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य